न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सिवाना

पीठासीन अधिकारी श्री अन्जुम ताहिर सम्मा आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 03/2018

प्रार्थीनी

शांताकंवर पत्नी श्री कल्याणसिंह जाति राजपुरोहित निवासी भाण्डूकलां तहसील लूणी जिला जोधपुर हाल अर्जियाना तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगणः–

1. रामदास पुत्र पोकरदास जाति साद (संत)
2. मदनदास पुत्र पोकरदास जाति साद (संत)
3. भागवती पत्नी पोकरदास जाति साद (संत) निवासीयान अर्जियाना तहसील सिवाना जिला बाडमेर
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सिवाना

आवेदन पत्र वास्ते तरमीम दुरूस्ती तथा नक्शा दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 131–136 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री ओमसिंह राजपुरोहित प्रार्थी वकील
2. विप्रार्थीगण अनुपस्थित

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 06/02/19

प्रार्थीनी द्वारा विप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 आर एल आर एक्ट के प्रस्तुत किया प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है मौजा अर्जियाना पटवार हल्का देवन्दी के खसरा संख्या 426/250 (मूल खसरा 250) रकबा 08.09 बीघा किस्म रेतीली भूमि प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि अभिलेख में दर्ज है प्रार्थीनी ने पूर्व खातेदारो से जमीन खरीद कर उस पर कब्जा काश्त माफिक रेकर्ड किया हुआ है, जब प्रार्थीनी ने अपने खातेदारी खेत की जमाबंदी के साथ नक्शा की प्रमाणित कॉपी प्राप्त की तब प्रार्थीनी को अपनी खातेदारी भूमि के नक्शे में कम दर्शाये हुए होने ज्ञान होने पर तहसीलदार सिवाना के समक्ष पेश किया हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थीनी के खेत खसरा संख्या 426/250 रकबा 08.09 बीघा का सीमाज्ञान किया तब पता चला कि राजस्व नक्शे में तरमीम गलत कर प्रार्थीनी की सिर्फ 05.05 बीघा भूमि की खातेदार दर्ज है। प्रार्थीनी के खातेदारी खेत के राजस्व नक्शे अनुसार भूमि रकबा 05.05 बीघा होना बताया है जबकि रेकर्ड में 08.09 बीघा दर्ज है जबकि पडौसी खातेदार विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 का खसरा संख्या 425/250 (मूल खसरा संख्या 250) का भी माप किया गया तो नक्शे अनुसार रकबा 11.13 बीघा भूमि होना अपनी रिपोर्ट में बताया जबकि विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 का राजस्व रेकर्ड अनुसार रकबा 08.09 बीघा भूमि के ही रेकर्डेड खातेदार है, इस प्रकार प्रार्थीनी व विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के मूल खसरा संख्या 250 के तरमीम के समय तरमीम गलत दर्ज कर दी गयी जिसे दुरूस्त किया जाना अति आवश्यक है। प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। विप्रार्थीगण के विरूद्व बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सिवाना

तहसीलदार सिवाना द्वारा पत्रांक 17 दिनांक 03.05.18 द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई ।

प्रार्थीनी वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का भली प्रकार अवलोकन व अध्ययन किया गया । प्रार्थना पत्र के संलग्न जमाबंदी संवत् 2071–2074 में वाद ग्रस्त भूमि खेत खसरा संख्या 426/250 रकबा 08.09 बीघा प्रार्थीनी के नाम पर दर्ज है। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में भी बताया गया है कि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीनी के नाम कुल 08.09 बीघा भूमि दर्ज थी परन्तु मौके का सीमाज्ञान करने पर मौके पर प्रार्थीनी के कब्जा काश्त 05.05 बीघा भूमि पर ही है। जबकि मूल खसरे पर शेष काश्तकारो का कब्जा है।

प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज जमाबन्दी संवत् 2071–2074 के अध्ययन व तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोट में यह तथ्य सामने आया कि पटवारी हल्का द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश के वादग्रस्त भूमि की प्रार्थीनी के हक हिस्से की भूमि रकबा 08.09 के स्थान पर 05.05 बीघा भूमि की राजस्व रेकर्ड में तरमीम कर दी गई है।

अतः प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिवाना को आदेशित दिया जाता है कि ग्राम अर्जियाणा पटवार हल्का देवन्दी के खेत खसरा संख्या 426/250 (मूल खसरा संख्या 250) बीघा भूमि की पूर्व में की गई तरमीम को निरस्त कर वर्तमान जमाबंदी अनुसार तरमीम दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना तदानुसार पालना सुनिश्चित करे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

(अन्जुम ताहिर सम्मा)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना

आदेश आज दिनांक 04/02/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अन्जुम ताहिर सम्मा)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना